

पञ्चांग २००७
अभिषेक
पुष्प
मिठ
सिद्धिग यो विधि

निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 31 दिसम्बर 2010

राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रशासकीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र/कुमायूँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय के द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणनाओं का सम्बन्ध में मुझे यह जानकारी मिली है कि मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र/कुमायूँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा के द्वारा आगणना विवरणानुसार 24 विभिन्न कार्यों, के निर्माण पर प्रशासकीय अनुमोदन देते हुए प्रथम बार के आगणना कार्यों यथा विस्तृत आगणना का गठन, नन भूमि हस्तान्तरण, भू-अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, नदी निर्माण, भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों, के लिये टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई प्रारंश र 378.83 लाख (₹ तीन करोड़ अठहत्तर लाख तिरसठ हजार मात्र) पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रति कार्य रू0 0.01 लाख अर्थात् कुल र 0.24 लाख (₹ चौबीस हजार मात्र) के व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है:-

उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत

उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया गया। तदुपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं०:- 1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 मार्च 2008 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई। परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

आगमन में उत्प्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित नहीं है। अथवा बाजार भाव से ली गई हो, वही स्वीकृत/अनुमोदित नहीं किया जायेगा।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना वही स्वीकृत नाम है। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो राशिका समायोजन किया जायेगा।

कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं आवश्यक विचारों द्वारा प्राप्ति करें/विशिष्ट्यों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय वास्तविक कार्य सम्पन्न करने के लिए आवश्यक है।

आगमन में किम नदी हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मत का प्रस्ताव

सहित किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड प्रोक्सीरमेन्ट सल्व-2008 तथा उक्त दिनांक पर निर्गत समस्त विज्ञापनों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

साक्ष्य, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:- 2047/44W-219(2004) दिनांक 2004 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगमन गठित करते समय प्रकाशित किया जायेगा।

2110 211

स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर- 02 नया निर्माण कार्य-24 ग्रहण निर्माण कार्य-05 में होगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 691/XXVII(2)/2010 दिनांक: 31.12.2009 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

तलमक: यथोपरि।

ख्या:- (1)/111(2)/10-18(प्रोआ0)/2010 टी0सी0-VI तददिनांक

तिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, नाजरा देहरादून।
- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पीडी/नैनीताल।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित मुख्य/परिष्कृत कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि. मंडल/अल्मोडा।
- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि. उत्तराखण्ड।
- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
- गार्ड बुक।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

अज्ञात

(महिमा)
अनु सचिव

143
19

प्रतः प्रतः सं०:- 16/20 प्रतः (क)/10 सि- 4/20/2010

मुख्य अभियन्ता एवं कोषाधिकारी को सूचित किया जा रहा है कि

मुख्य अभियन्ता गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि. मंडल/अल्मोडा

(लोक) कोषाधिकारी को सूचित किया जा रहा है कि

मुख्य अभियन्ता गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि. मंडल/अल्मोडा

मुख्य अभियन्ता गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि. मंडल/अल्मोडा

सं०:- यथोपरि

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

क्र. 7326 (1)/111(2)/10-18(प्र.0आ0)/2010 टी.सी.0-VI दिनांक 31 दिसम्बर, 2010

जनपद नैनीताल में देवलचौड-कालादूंगी मोटर मार्ग से चौदनीचौक में सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1.00	1.60	0.01
जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर में नरेन्द्रनगर से प्लाक घम्बा के ग्राम सभा (घरगांव) में घोड़ीगाड से कुआ पानी तक तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	25.20	0.01
जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर में मसूड से दनाडा (पट्टी भरपुर) मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	25.20	0.01
जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर में अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	25.20	0.01
जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर में किरोडी से बौन्ट मोटर मार्ग निर्माण	3.00	37.80	0.01
जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर में हाडीसेरा (जाजल) से शिवपुरी तक अवशेष भाग का विस्तार	4.00	50.40	0.01
जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर में विडोन खाकर मोटर मार्ग से सुमारकोट तक मोटर मार्ग निर्माण	2.00	25.20	0.01
जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर में डोर से डोर स्कूल तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	12.60	0.01
जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर में डोर से डोर तलाई तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.01
योग:-		378.63	0.24

(कुल ₹ चौबीस हजार मात्र)

कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता
प्रां. पुन. हा. 0/10/10
गढ़वाल

प्रमाणित
(महिमा)
अनु सचिव

प्रमाणित सं. 143/100 सी. 0-8/11 दि. 21-11-10
प्रमाणित सं. 143/100 सी. 0-8/11 दि. 21-11-10
प्रमाणित सं. 143/100 सी. 0-8/11 दि. 21-11-10
प्रमाणित सं. 143/100 सी. 0-8/11 दि. 21-11-10
प्रमाणित सं. 143/100 सी. 0-8/11 दि. 21-11-10
प्रमाणित सं. 143/100 सी. 0-8/11 दि. 21-11-10
प्रमाणित सं. 143/100 सी. 0-8/11 दि. 21-11-10
प्रमाणित सं. 143/100 सी. 0-8/11 दि. 21-11-10
प्रमाणित सं. 143/100 सी. 0-8/11 दि. 21-11-10
प्रमाणित सं. 143/100 सी. 0-8/11 दि. 21-11-10

प्रमाणित सं. 143/100 सी. 0-8/11 दि. 21-11-10
प्रमाणित सं. 143/100 सी. 0-8/11 दि. 21-11-10
प्रमाणित सं. 143/100 सी. 0-8/11 दि. 21-11-10
प्रमाणित सं. 143/100 सी. 0-8/11 दि. 21-11-10